



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 62]

नई दिल्ली, शुक्रवार, फरवरी 26, 2010/फाल्गुन 7, 1931

No. 62]

NEW DELHI, FRIDAY, FEBRUARY 26, 2010/PHALGUNA 7, 1931

भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद्

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 फरवरी, 2010

कालेज में उपयुक्त सुविधाओं सहित एक 'डे-केयर सेंटर' स्थापित किया जाना चाहिये।"

ले. कर्नल (से. नि.) डॉ. ए. आर. एन. सीतलवाड, सचिव

[विज्ञापन III/4/असा./100/09]

सं. भा.आ.प.-34(1)/2009—मेडि./76566.—भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् अधिनियम, 1956 (1956 का 102) की धारा 33 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए, "प्रतिवर्ष एम. बी. बी. एस. में 50 दाखिलों के लिए न्यूनतम शर्तें विनियमावली, 1999" में पुनः संशोधन करने हेतु, भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद्, केन्द्रीय सरकार के पूर्व-अनुमोदन से एतद्द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाती है, नामतः :—

1. (i) इन विनियमों को "प्रतिवर्ष एम. बी. बी. एस. में 50 दाखिलों के लिए न्यूनतम शर्तें विनियमावली (संशोधन) 2010", कहा जाए।

(ii) वे सरकारी राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. "प्रतिवर्ष एम. बी. बी. एस. में 50 दाखिलों के लिए न्यूनतम शर्तें विनियमावली, 1999" में निम्नलिखित परिवर्धन/संशोधन/विलोप/प्रतिस्थापन दर्शाए जाएंगे :—

3. दिनांक 8-7-2009 की अधिसूचना के अंतर्गत अनुसूची (I) में खण्ड क. 1.21 के पश्चात् जोड़े गए खण्ड में निम्नलिखित को जोड़ा जाएगा :—

"क 1.22 महिला छात्रों/कार्यरत कामिकों और मरीजों के नवजात शिशुओं और बच्चों की देखभाल के लिये मेडिकल

पाद टिप्पणी :—प्रधान विनियमावली नामतः "प्रतिवर्ष एम. बी. बी. एस. में 50 दाखिलों के लिए न्यूनतम शर्तें विनियमावली, 1999" को भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् की दिनांक 30 मार्च, 1999 की अधिसूचना संख्या 35 (1)/1998—मेडि (ii) के अंतर्गत दिनांक 29 अप्रैल, 1999 को भारत के राजपत्र के भाग III, खण्ड (4) में प्रकाशित किया गया था और इसे दिनांक 24 जून, 1999 के शुद्धि-पत्र द्वारा संशोधित और दिनांक 8 जुलाई, 2009, 13 नवम्बर, 2009, 18 जनवरी, 2010 तथा 30 जनवरी, 2010 की अधिसूचना के अंतर्गत संशोधित किया गया था।

MEDICAL COUNCIL OF INDIA

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th February, 2010

No. MCI-34(1)/2009-Med./76566.—In exercise of the powers conferred by Section 33 of the Indian Medical Council Act, 1956 (102 of 1956), the Medical Council of India, with the previous sanction of the Central Government, hereby makes the following regulations to further amend the "Minimum Requirements for 50 MBBS Admissions Annually Regulations, 1999", namely :—

1. (i) These regulations may be called the "Minimum Requirements for 50 MBBS Admissions Annually Regulations (Amendment), 2010".

(ii) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Minimum Requirements for 50 MBBS Admissions Annually Regulations, 1999, the following additions/modifications/deletions/substitutions, shall be as indicated therein:—

3. In Schedule (I), after Clause A. 1.21, added vide Notification dated 8-7-2009, the following Clause shall be added:—

"A.1.22 A Day Care Center should be established in the medical college with adequate facilities for taking care of the infants and the children of female students/working personnel and patients."

Lt. Col. (Retd.) Dr. A. R. N. SETALVAD, Secy.

[ADVT. III/4/Exty./100/09]

Foot Note :—The Principal Regulations namely "Minimum Requirements for 50 MBBS Admissions Annually Regulations, 1999" were published in Part III, Section 4 of the Gazette of India on the 29th April, 1999, vide Medical Council of India Notification No. 35(1)/1998-Med. (ii) dated the 30th March, 1999 and amended vide corrigendum dated 24th June, 1999 and further amended vide Notification dated 20th October, 2008, 8th July, 2009, 13th November, 2009, 18th January, 2010 and 30th January, 2010.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 फरवरी, 2010

सं. भा.आ.प.-34(1)/2009-मेडि./76566.—भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् अधिनियम, 1956 (1956 का 102) की धारा 33 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए, "प्रतिवर्ष एम. बी. बी. एस. में 100 दाखिलों के लिए न्यूनतम शर्तें विनियमावली, 1999" में पुनः संशोधन करने हेतु, भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद्, केन्द्रीय सरकार के पूर्व-अनुमोदन से एतद्वारा निम्नलिखित विनियम बनाती है, नामतः :—

1. (i) इन विनियमों को "प्रतिवर्ष एम. बी. बी. एस. में 100 दाखिलों के लिए न्यूनतम शर्तें विनियमावली (संशोधन) 2010", कहा जाए।

(ii) वे सरकारी राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. "प्रतिवर्ष एम. बी. बी. एस. में 100 दाखिलों के लिए न्यूनतम शर्तें विनियमावली, 1999" में निम्नलिखित परिवर्धन/संशोधन/विलोप/प्रतिस्थापन दर्शाए जाएंगे :—

3. दिनांक 1-12-2008 की अधिसूचना के अंतर्गत अनुसूची (I) में खण्ड क.1.21 के पश्चात् जोड़े गए खण्ड में निम्नलिखित वं जोड़ा जाएगा :—

"क.1.22 महिला छात्रों/कार्यरत कर्मिकों और मरीजों के नवजात शिशुओं और बच्चों की देखभाल के लिये मेडिकल कालेज में उपयुक्त सुविधाओं सहित एक 'डे-केयर सेंटर' स्थापित किया जाना चाहिये।"

ले. कर्नल (से. नि.) डॉ. ए. आर. एन. सीतलवाड, सचिव

[विज्ञापन III/4/असा./100/09]

पाद टिप्पणी :—प्रधान विनियमावली नामतः "प्रतिवर्ष एम. बी. बी. एस. में 50 दाखिलों के लिए न्यूनतम शर्तें विनियमावली 1999" को भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् की दिनांक 30 मार्च, 1999 की अधिसूचना संख्या 35 (1)/1998-मेडि. (ii) के अंतर्गत दिनांक 29 अप्रैल, 1999 को भारत के राजपत्र के भाग III, खण्ड (4) में प्रकाशित किया गया था और इसे दिनांक 24 जून, 1999 के शुद्धि-पत्र द्वारा संशोधित और दिनांक 20 अक्टूबर, 2008, 1 दिसम्बर, 2008, 13 नवंबर, 2009, 18 जनवरी, 2010 और 30 जनवरी, 2010 की अधिसूचना के अंतर्गत पुनः संशोधित किया गया था।

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th February, 2010

No. MCI-34(1)/2009-Med./76566.—In exercise of the powers conferred by Section 33 of the Indian Medical Council Act, 1956 (102 of 1956), the Medical Council of India, with the previous sanction of the Central Government, hereby makes the following regulations to further amend the "Minimum Requirements for 100 MBBS Admissions Annually Regulations, 1999", namely :—

1. (i) These regulations may be called the "Minimum Requirements for 100 MBBS Admissions Annually Regulations (Amendment), 2010".

(ii) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Minimum Requirements for 100 MBBS Admissions Annually Regulations, 1999 the following additions/modifications/deletions/substitutions, shall be as indicated therein:—

3. In Schedule (I), after Clause A.1.21, added vide Notification dated 1-12-2008, the following Clause shall be added:—

"A.1.22 A Day Care Center should be established in the medical college with adequate facilities for taking care of the infants and the children of female students/working personnel and patients."

Lt. Col. (Retd.) Dr. A. R. N. SETALVAD, Secy.

[ADVT. III/4/Exty./100/09]

Foot Note :—The Principal Regulations namely “Minimum Requirements for 100 MBBS Admissions Annually Regulations, 1999” were published in Part III, Section 4 of the Gazette of India on the 29th April, 1999, *vide* Medical Council of India Notification No. 35(1)/1998-Med. (ii) dated the 30th March, 1999 and amended *vide* corrigendum dated 24th June, 1999 and further amended *vide* Notification dated 20th October, 2008, 1st December, 2008, 13th November, 2009, 18th January, 2010 and 30th January, 2010.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 फरवरी, 2010

सं. भा.आ.प.-34(1)/2009-मेडि./76566.—भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् अधिनियम, 1956 (1956 का 102) की धारा 33 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए, “प्रतिवर्ष एम. बी. बी. एस. में 150 दाखिलों के लिए न्यूनतम शर्तें विनियमावली, 1999” में पुनः संशोधन करने हेतु, भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद्, केन्द्रीय सरकार के पूर्व-अनुमोदन से एतद्द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाती है, नामतः :—

1. (i) इन विनियमों को “प्रतिवर्ष एम. बी. बी. एस. में 150 दाखिलों के लिए न्यूनतम शर्तें विनियमावली (संशोधन) 2010”, कहा जाए।

(ii) वे सरकारी राजपत्र में उनके प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होंगे।

2 “प्रतिवर्ष एम. बी. बी. एस. में 150 दाखिलों के लिए न्यूनतम शर्तें विनियमावली 1999” में निम्नलिखित परिवर्धन/संशोधन/विलोप/प्रतिस्थापन दर्शाए जाएंगे :—

3. दिनांक 8-7-2009 की अधिसूचना के अंतर्गत अनुसूची (I) में खण्ड क.1.21 के पश्चात् जोड़े गए खण्ड में निम्नलिखित को जोड़ा जाएगा :—

“क. 1.22 महिला छात्रों/कार्यरत कामिकों और मरीजों के नवजात शिशुओं और बच्चों की देखभाल के लिये मेडिकल कालेज में उपयुक्त सुविधाओं सहित एक ‘डे-केयर सेंटर’ स्थापित किया जाना चाहिये।”

ले. कर्नल (से. नि.) डॉ. ए. आर. एन. सीतलवाड, सचिव

[विज्ञापन III/4/असा./100/09]

पाद टिप्पणी :—प्रधान विनियमावली नामतः “प्रतिवर्ष एम. बी. बी. एस. में 150 दाखिलों के लिए न्यूनतम शर्तें विनियमावली 1999” को भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् की दिनांक 30 मार्च, 1999 की अधिसूचना संख्या 35 (I)/1998-मेडि. (II) के

अंतर्गत दिनांक 29 अप्रैल, 1999 को भारत के राजपत्र के भाग III, खण्ड (4) में प्रकाशित किया गया था और इसे दिनांक 24 जून, 1999 के शुद्धिपत्र द्वारा संशोधित और दिनांक 8 जुलाई, 2009, 13 नवम्बर, 2009, 18 जनवरी, 2010 तथा 30 जनवरी, 2010 की अधिसूचना के अंतर्गत पुनः संशोधित किया गया था।

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th February, 2010

No. MCI-34(1)/2009-Med./76566.—In exercise of the powers conferred by Section 33 of the Indian Medical Council Act, 1956 (102 of 1956), the Medical Council of India, with the previous sanction of the Central Government, hereby makes the following regulations to further amend the “Minimum Requirements for 150 MBBS Admissions Annually Regulations, 1999”, namely :—

1. (i) These regulations may be called the “Minimum Requirements for 150 MBBS Admissions Annually Regulations, (Amendment), 2010”.

(ii) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the “Minimum Requirements for 150 MBBS Admissions Annually Regulations, 1999” the following additions/modifications/deletions/substitutions, shall be as indicated therein :—

3. In Schedule (I), after Clause A.1.21, added *vide* Notification dated 8-7-2009, the following Clause shall be added:—

“A.1.22 A Day Care Center should be established in the medical college with adequate facilities for taking care of the infants and the children of female students/working personnel and patients.”

Lt. Col. (Retd.) Dr. A. R. N. SETALVAD, Secy.

[ADVT. III/4/Exty./100/09]

Foot Note :—The Principal Regulations namely “Minimum Requirements for 150 MBBS Admissions Annually Regulations, 1999” were published in Part III, Section 4 of the Gazette of India on the 29th April, 1999, *vide* Medical Council of India Notification No. 35(1)/1998-Med. (ii) dated the 30th March, 1999 and amended *vide* corrigendum dated 24th June, 1999 and further amended *vide* Notification dated 20th October, 2008, 8th July, 2009, 13th November, 2009, 18th January, 2010 and 30th January, 2010.